<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10.10.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने 07.10.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वाटिका लिमिटेड और अन्य के मामले में नई दिल्ली और गुड़गांव शहरों में स्थित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह मामला एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें विभिन्न वाणिज्यिक परियोजनाओं के चार सौ से अधिक निवेशकों को बिल्डर क्रेता एजेंटों (बीबीए) में शामिल होने के रूप में सुनिश्चित रिटर्न नहीं मिला और न ही कंपनी ने खरीदारों/निवेशकों को वाणिज्यिक इकाइयां सौंपीं। तलाशी अभियान के दौरान, खरीदारों के निवेश, समूह की कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण से संबंधित विभिन्न दोषी ठहराने वाले दस्तावेज/रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

ईडी ने वर्ष 2021 के दौरान आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली और हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड और प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी हेतु प्रेरित करना आदि के अपराधों से संबंधित कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी मेसर्स वाटिका लिमिटेड निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए भुगतान करने के लिए लुभाने में शामिल है, जिसमें परियोजनाओं के पूरा होने तक सुनिश्चित रिटर्न और परियोजनाओं के पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न जैसे उच्च मूल्य के रिटर्न शामिल हैं। हालांकि, बीच में, कंपनी ने सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करना बंद कर दिया और फरीदाबाद और गुरुग्राम में विभिन्न परियोजनाओं में संबंधित इकाइयों को नहीं सौंपा, जिससे आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी आदि के अपराध हुए। इसके अलावा, यह पता चला है कि वाटिका समूह की कंपनियों ने 5000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिया था, जिसमें से लगभग 1200 करोड़ रुपये इंडियाबुल्स कंपनी ने वाटिका समूह और उसके प्रमोटरों के साथ समझौते में माफ कर दिए थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि कंपनी ने उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, जैसे समय-समय पर डीटीसीपी से लाइसेंस का नवीनीकरण न कराना, समय-सीमा के भीतर उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में चूक करना।

अब तक की जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि अपराध की आय के रूप में लगभग 250 करोड़ रुपये की संलिप्तता है। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने अपराध की आय से संबंधित 200 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की भी पहचान की है।

आगे की जांच जारी है।